निरीक्षण प्रतिवेदन **प्राचार्य, श्री गुलाब सिंह राजकीय महाविद्यालय चकराता** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **प्राचार्य, श्री गुलाब सिंह राजकीय महाविद्यालय चकराता** के माह 12/2013 से 07/2017 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री राजकुमार (ले.प.), श्री खुशीराम (व.ले.प.) व सुश्री रेखा, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 24.08.2017 से 28.08.2017 तक श्री पुष्कर वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री एफ.आर. खान, (व.ले.प.) व श्री अरविन्द शर्मा, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 13.12.2013 से 19.12.2013 तक सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 11/2004 से 10/2013तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 12/2013 से 07/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।
2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः .....
   राजकीय महाविद्यालय, चकराता (देहरादून) की स्थापना 05 नवम्बर 2004 को क्षेत्रीय जनता विशेषकर जनजाति क्षेत्र के लोगों को उच्च शिक्षा प्रदान करने हेतु उत्तराखण्ड सरकार द्वारा स्व. श्री गुलाब सिंह जी के नाम पर महाविद्यालय की स्थापना की गई, महाविद्यालय का उद्देश्य सुदूरवर्ती क्षेत्र में लगभग 6000 वर्ग मीटर ऊँचाई पर स्थित है।

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+) `	बचत (-) `
	स्थापना `	गैर स्थापना `	आवंटन `	व्यय `	आवंटन `	व्यय `		
2014-15	शून्य	शून्य	4714000	4710487	165000	148613	-	199000
2015-16	शून्य	शून्य	5225000	5182876	431000	227477	-	245647
2016-17	शून्य	शून्य	6935000	6362750	426000	377827	-	620423
2017 till date	शून्य	शून्य	5220000	3393289	531000	148289	-	2209422

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय अधिक्य (+) `	बचत (-) `
2014-15	RUSA	-	-	-	-
2015-16	RUSA	-	2468000	-	2468000
2016-17	RUSA	-	8778666	-	8778666

(iii) इकाई को बजट आवंटन उत्तराखण्ड शासन द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई (सी) श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

1. सगंठनात्मक ढांचा 2. निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल) 3. प्राचार्य 4. प्राध्यापक वर्ग 5. समूह (ग) वर्ग कर्मचारी 6. समूह (घ) वर्ग कर्मचारी

(iv) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में **प्राचार्य, श्री गुलाब सिंह राजकीय महाविद्यालय चकराता** को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **प्राचार्य, श्री गुलाब सिंह राजकीय महाविद्यालय चकराता** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 06/2017 एवं 03/2015 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 18, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

<u>भाग-दो(ब)</u>

प्रस्तर-1- रू. 1.11 लाख का रखरखाव अनियमित ढंग से किया जाना।

कार्यालय श्री गुलाब सिंह राजकीय महाविद्यालय चकराता के अधीन प्रतिभूति राशि से संबंधित रखरखाव किये गये अभिलेखों की जांच की गयी। प्रतिभूति राशि के पाँच वर्षों के आँकड़ों की जांच में पाया गया कि छात्रों से प्रतिवर्ष उक्त मद के लिये शुल्क संग्रहित की जा रही थी, परंतु इन वर्षों में महाविद्यालय छोड़ने वाले छात्रों को वापस की गयी धनराशि शून्य पायी गयी। छात्रों को शुल्क वापसी के लिये महाविद्यालय के पास समय निर्धारित विषयक अभिलेख लेखापरीक्षा में अनुपलब्ध पाया गया। प्रतिभूति राशि के वापसी के संबंध में छात्रों को जानकारी में लाने के लिये महाविद्यालय द्वारा समय-समय पर नोटिस जारी करना प्रचलन में नहीं पाया गया।

इस संबंध में पूछे जाने पर इकाई द्वारा उत्तर दिया गया कि प्रॉस्पेक्टस महाविद्यालय द्वारा तैयार की जायेगी तो उसमें निदेशालय से सुझाव प्राप्त कर कॉशन मनी की वापसी अवधि निर्धारण का उल्लेख किया जायेगा।

इकाई का उत्तर संतोषजनक नहीं पाया गया क्योंकि प्रतिभूति राशि के उपलब्ध कोष के रखरखाव में विभाग से दिशानिर्देशन प्राप्त करने में उदासीनता दिखायी गयी। महाविद्यालय की जिम्मेदारी थी कि छात्रों को उनकी धन राशि वापसी के संबंध में निर्धारित अवधि पर सूचना प्रकाशित कर मौका प्रदान करना चाहिए था, परंतु कार्य में उदासीनता पायी गयी।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारी के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर-2- अनियमित क्रय रू. 5.36 लाख।

Guidelines:- RUSA

General Norm (Pt. No. 08)- States would be required to procure all consumables, equipment furniture, etc. in accordance with the State procurement policy and relevant rules for government procurement applicable to the States.

उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रोकयोरमेंट) नियमावली 2008 के नियम Rule 2(F) read with Rule 3(10) के अनुसार कार्यों के समूह को जो क परियोजना के ही भाग है, एक कार्य मानते हुये ही सक्षम प्राधिकारी से तकनीकी, प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति मात्र एक कार्य के लिये ली जाय। मात्र इसलिए कार्य के अलग-2 टुकड़े न किये जाये कि उच्च स्तर से आवश्यक अनुमति न लेना पड़े।

कार्यालय राजकीय महाविद्यालय, चकराता से अधीन रूसा के अंतर्गत महाविद्यालय के सुदृढ़ीकरण हेतु प्राप्त धनराशि रू. 25.00 लाख के सापेक्ष क्रय सामग्री की पत्रावली की जांच उक्त नियम के परिप्रेक्ष्य में की गयी। नमूना जांच कि तहत फर्नीचर मद के व्यय विवरण निम्नवत् पाये गयी।

क्र.सं.	आईटम	व्यय धनराशि	अनुमति सं.	आपूर्ति आदेश दिनांक
1.	Books shelf's	152926.00	-----	08.12.16
2.	Magazine Display Rack	19000.00	-----	08.12.16
3.	Book Issue counter	49852.00	13	07.03.17
4.	Lab Furniture	100000.00	13	07.03.17
5.	Reading rooms furniture	108148.00	13	07.03.17
6.	Furniture for principal office	76143.00	20	17.03.17
7.	Pigeon Hall Almeria for staff room	29999.00	20	17.03.17
कुल योग		**536068.00**		

अभिलेखों की जांच में तथ्य प्रकाश में आया कि उपरोक्त आईटम का क्रय एक ही परियोजना का भाग होने का क्रय एक ही परियोजना का भाग होने के बावजूद अलग-2 तिथि को स्वीकृति प्रदान की गयी। अधिप्राप्ति नियमावली के अनुसार रू. 5.00 लाख का व्यय नियमतः निविदा के माध्यम से किया जाना चाहिए था जो लेखापरीक्षा में नहीं पाया गया।

इस ओर इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा उत्तर दिया गया कि प्रोक्योरमेंट रूल के अनुसार महाविद्यालय द्वारा समिति गठित कर सामग्रियों का क्रय किया गया। प्रक्रिया में जो कमी रह गयी उसे भविष्य में दूर कर पुनरावृत्ति से बचा जायेगा।

उत्तर तर्कसंगत नहीं पाया गया, क्योंकि जब रू. 5.00 लाख का फर्नीचर ही खरीदना था, तो वह नियम संगत विभिन्न फर्मों से प्रतिस्पर्धा दर प्राप्त कर गुणवत्ता युक्त सामग्री प्राप्त की जाती जो शासकीय हित में मितव्ययी भी होता।

अतः प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
153/2013-14	-	-

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
153/2013-14	शून्य रिपोर्ट			

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

----------शून्य----------

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **प्राचार्य, श्री गुलाब सिंह राजकीय महाविद्यालय चकराता** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि **लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः**
   (i) निर्माण कार्य पत्रावली
2. **सतत् अनियमितताएः**
   (i) शून्य

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्र.सं.	नाम	पदनाम	अवधि
1.	डा. जे.सी. घिल्डियाल	प्राचार्य	12/2013 से 29.08.14
2.	डा. गौरी सेवक	अति. प्रभार	29.08.14 से 12.09.14
3.	डा. सोहन लाल भट्ट		12.09.14 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **प्राचार्य, श्री गुलाब सिंह राजकीय महाविद्यालय, चकराता** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार (सामाजिक क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सामाजिक क्षेत्र